पथ निर्माण विभाग

दिनांक 08.09.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction cum output & performance based road assets maintenance work for W/S of Sheohar-Minapur road (From Intermediate lane to Double lane) from km 20.43 to 33.28 km under Plan head for the year 2016-17 (Under NABARD Scheme) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या–1348(अनु0) दिनांक 29.04.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 17.05.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :–

2.1 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction cum output & performance based road assets maintenance work for W/S of Sheohar-Minapur road (From Intermediate lane to Double lane) from km 20.43 to 33.28 km under Plan head for the year 2016-17 (Under NABARD Scheme) के सभी चार निविदाकार यथा (i) M/s Kabbu Khirhar (ii) M/s Narsingh Construction (iii) RKS Engicon Pvt. Ltd. (iv) Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय बेवसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 24.05.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। CE सुनिश्चित हो लेंगे कि इस पथांश का कोई हिस्सा NH का भाग तो नहीं हो रहा है।

3. उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक–1579(अनु0) दिनांक 26.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक–1498(अनु0) दिनांक 17.05.2017 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन की माँग की गई। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित पथ की कुल लंबाई 12.85 कि0मी0 में से 8.50 कि0मी0 पथांश सैद्धान्तिक तौर पर घोषित राष्ट्रीय उच्च पथ के संभावित मार्गरेखन में पड़ता है।

उक्त परिस्थिति में विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड नहीं खोला गया है। अतः अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से विभागीय निविदा समिति को अवगत कराने की कृपा की जाय।"

4. सैद्धान्तिक रूप से घोषित राष्ट्रीय उच्च पथों के रख–रखाव के लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा नीतिगत निर्णय हेतु वरीय तकनीकी पदाधिकारियों की दिनांक 28.06.2017 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा निम्नवत् है :–

भारत सरकार द्वारा उक्त पथों को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित की गयी है, इसके DPR तैयार करने, मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजना में सम्मिलित करने में ही एक से दो वर्ष का समय लगने की पूरी सम्भावना है। चूँकि राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित सभी पथ अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः जबतक भारत सरकार द्वारा उन पथों के Feasibility Report/DPR के आधार पर राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) घोषित करते हुए योजना के कार्यान्वयन (Execution) हेतु वार्षिक कार्य योजना में शामिल नही कर लिया जाता है, तबतक राज्य सरकार द्वारा इसका समुचित रख–रखाव किया जाना उचित होगा।

5. उक्त कंडिका–4 के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सैद्धान्तिक रूप से इस शर्त के साथ सहमति दी गई है कि इस प्रकार Pipe Line में रहे पथों के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यय राज्य सरकार के अद्यतन संसाधनों की उपलब्धि पर आधारित रहेगा।

इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

6.1 विभागीय वरीय पदाधिकारियों की समिति की कंडिका–4 पर वर्णित अनुशंसा एवं इस पर वित्त विभाग की सैद्धान्तिक रूप से सहमति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत **Construction cum output & performance based road assets maintenance work for W/S of Sheohar-Minapur road (From Intermediate lane to Double lane) from km 20.43 to 33.28 km under Plan head for the year 2016-17 (Under NABARD Scheme)** के निविदा का वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति समक्ष उपस्थापित करने का निदेश मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग को दिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मामले की विशिष्टता के मद्देनजर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करके कार्यादेश जारी किया जायेगा।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबवाईट पर भी डाली जाय।

8.9.17	8.9.17	8/9/17	8.9.17
(अमीर हसन) मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) अपर सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–47/2017 5138 (E) पटना, दिनांक 8.9.17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/9/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।